

प्राविधिक नियम निदेशालय

उत्तर प्रदेश

विकास नगर गांगापुर-208002

E-mail ID: <http://bprd.up.nic.in>

Phone No. 0120-241111

Fax No. 0120-241112

E-mail: bprd@vsnl.net.in

॥ आदेश ॥

लोक रोता आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की संस्थानि के आधार पर कार्यशाला अनुदेशक नियम/प्राविधिक, बैण्डगेटन ८० ९३००-३४८०० पैसेवेल ६० ५२००/- वे व्युत्तम योजना पर उत्तर प्रदेश सामाजिक द्वारा अधिकृत यहां पर यहां करने की तिथि से नियुक्ति अनुबंधों की नियुक्ति उनके नाम के सम्बन्ध में नियमित संवेदन में कार्यमार्ग यहां करने की तिथि से ही जाती है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अवधार है एवं नियुक्त अधिकृतों की सेवाये सामनादेश सद्वा २०/१/७४-३ विचारक ११ जून ७५ के अनुसार किसी भी व्याय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नीटिंग पर राखाया की जा सकती है।

| क्रमांक | अधिकृत का नाम एवं पक्ष अवधार का पता | स्थानीय पता | संख्या जहाँ नियुक्ति की जाती है |
|---------|---|---|---|
| १. | कु० प्रियंका कुमारी (श्रीमी—सामाजिक) पुत्री—श्री कमलेश प्रसाद, म०न०—१७८१ / १८१, म००—नवी बस्ती, बैनीगंज, जिला—इलाहाबाद पिन—२११ ०१६ राज्य—८०५० | म०न०—१७८१ / १८१, म००—नवी बस्ती, बैनीगंज, जिला—इलाहाबाद, पिन—२११ ०१६ राज्य—८०५० | राजकीय पालीटेक्निक, पूर्वाधार पट्टी, रामीगंज, प्रतापगढ़ |
| २. | श्री रामाश्रम, (श्रीमी—सामाजिक) पुत्र—श्री कमलीनाथ, ग्राम—नगराईपुर, पोट—वसन्तापुर, जिला—वाराणसी, राज्य—८०५० | ग्राम—नगराईपुर, पोट—वसन्तापुर, जिला—वाराणसी, राज्य—८०५० | राजकीय पालीटेक्निक, कुरु पिण्डा, वाराणसी |
| ३. | श्री सत्येन्द्र कुमार, (श्रीमी—अनुसूचित जाति) पुत्र—स्व० लेज बहादुर, म०न०—११७ / वय०/४५८, म००—इन्द्रपुरी, शारदानगर, जिला—कानपुर नगर, पिन—२०८ ०२५ राज्य—८०५० | म०न०—११७ / वय०/४५८, म००—इन्द्रपुरी, शारदानगर, जिला—कानपुर नगर, पिन—२०८ ०२५ राज्य—८०५० | राजकीय पालीटेक्निक, शरसाई राठ, हमीरपुर |

नियुक्त अधिकृतों द्वारा पदभार यहां करने पर उनकी विस्तृतता माद में नियांसित की जायेगी। उपरोक्त अधिकृतों को पदभार यहां करते समय नियन्त्रित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

१. राष्ट्रीय रीडिंग एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों की प्रमाणित पत्रियाँ।
२. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र।
३. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण—पत्र।
४. मुख्य विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण—पत्र।
५. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण—पत्र।

पदभार यहां करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण—पत्र नियेशालय एवं संबंधित दोनों संयुक्त निदेशक कार्यालय देखे जायें। नियुक्त अधिकृतों को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यमार्ग यहां करना अनिवार्य है। यदि नियांसित तिथि तक उपरोक्त अधिकृत कार्यमार्ग यहां करने में असमर्थ होता है तो इनके नियुक्ति आदेश स्वातः समाप्त समझे जायेंगे। पदभार यहां करने हेतु नियुक्त अधिकृतों को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(कफील अहमद)
निदेशक।